

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवा

प्रकार वनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा शर्चना पत्र पुनः नम्बर पर लेने बाबत 01/विदिव्य/2021 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.2.21	<p>शर्चना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लेने प्रार्थना पत्र संख्या 33/2020 के लिए वकील श्री रमेश कुमार कटार ने मय वकालतनामा के पेश किया। शर्चना पत्र पर वकील शर्चा को सुना गया। शर्चना पत्र को अवलोकन किया गया। शर्चना पत्र को दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र संख्या 33/2020 को पुनः नम्बर पर लिखे जाने बाबत वकील शर्चा की दलीलों को सुना गया। मनन किया। वकील शर्चा की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा शर्चा की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिखा जाना न्यायद्वि में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिखे जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाद तकमील मूल प्रार्थना पत्र संख्या 33/2020 के साथ संलग्न किया जाकर दिनांक 10.3.21 को पेश है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

नैनवा (बन्दी)

